वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत समग्र गव्य विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्ग निर्देशिका

1. **योजना का नाम** :– समग्र गव्य विकास योजना

2. **योजना का उद्देश्य** :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों के भूमिहीन कृषकों/दुग्ध उत्पादकों/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों के लिए स्व–रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें विकास के मुख्यधारा में शामिल करना है ताकि उनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उत्थान हो सके एवं राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकें।

इस योजना अन्तर्गत उन्नत नस्ल के 2 एवं 4 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई स्थापित कर लाभूकों का आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ करना है, जिससे कि राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी एवं नागरिकों को न्यूनतम पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

3. **कार्यक्षेत्र** :– राज्य के सभी जिले में ।

4. **पात्रता** :– राज्य के सभी वर्गों के भूमिहीन/कृषकों/लघु कृषक/सीमांत कृषक/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले कृषक/शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को शामिल किया जायेगा।

5. **योजना का क्रियान्वयन** :– योजना का क्रियान्वयन राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में ही किया जायेगा। 2 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में कम्फेड/जीविका द्वारा किया जायेगा। जिसके गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेवारी कम्फेड/जीविका की होगी। कम्फेड एवं जीविका द्वारा लाभूकों के चयन, नियमानुसार पशुओं के क्रय आदि हेतु दिशा–निदश तैयार कर योजना क्रियान्वित की जायेगी, जिसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

6. योजना के तहत आवेदकों से शपथ पत्र लिया जायेगा, जिसमें लाभूकों द्वारा उल्लेख किया जायेगा कि मेरे द्वारा एक ही क्रियान्वयन एजेन्सी से योजना का लाभ लिया जा रहा है। दुधारू मवेशियों का क्रय राज्य के अन्दर चिन्हित पशु हाट/मेला से किया जा सकेगा।

7. कम्फेड/जीविका के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजना हेतु सभी जिलों के लिए लक्ष्य का निर्धारण कम्फेड/जीविका द्वारा अपने स्तर से करते हुए विभाग को सूचित किया जायेगा।

8. 04 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा मुख्यालय से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किया जायेगा। इस हेतु इच्छुक आवेदकों द्वारा 04 दुधारू मवेशी की स्थापना हेतु आवेदन संबंधित जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी को ऑनलाईन करेंगे। गव्य विकास निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार विभाग के अनुमोदन से लक्ष्य में परिवर्त्तन भी किये जा सकेंगे।

9. इस योजना के अन्तर्गत जिला गव्य विकास पदाधिकारी को प्राप्त आवेदनों को जिला स्तर पर संबंधित जिला के जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायेगी, जिसके सदस्य निम्न होंगे :–
    - जिला गव्य विकास पदाधिकारी/सम्बद्ध जिला के जिला गव्य विकास पदाधिकारी–सदस्य सचिव
    - उद्योग विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी – सदस्य

10. स्क्रीनिंग समिति की बैठक जिला स्तर पर आयोजित की जायेगी, जिसमें प्राप्त आवेदनों की समीक्षा/जाँच कर आवेदक के साक्षात्कार में ऋण स्वीकृति से संबंधित निर्णय लिया जायेगा एवं स्वीकृत योग्य ऋण आवेदनों को अनुशंसा के साथ संबंधित बैंक को अग्रसारित किया जायेगा। ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का यह दायित्त्व होगा कि अनुशंसित आवेदनों पर एक माह के अन्दर निर्णय लेते हुए आवेदक एवं संबंधित जिला के अग्रणी बैंक तथा जिला गव्य विकास कार्यालय को सूची के साथ सूचना उपलब्ध करायेंगे।

11. लाभूकों द्वारा स्वीकृत डेयरी इकाई अन्तर्गत दुधारू मवेशियों का क्रय राज्य के अन्दर पशुहाट/मेला से किया जायेगा।

12. दुधारू मवेशियों का क्रय, क्रय समिति के समक्ष किया जायेगा। क्रय समिति में संबंधित बैंक के प्रबंधक या उनके प्रतिनिधि, जिला गव्य विकास पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, पशु चिकित्सक एवं बीमा पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि होंगे।

13. योजना अंतर्गत किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत निर्धारित लागत व्यय से अधिक होने पर भी सब्सिडी का भुगतान परियोजना शर्त्त के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त व्यय होने वाली राशि का वहन लाभूकों को स्वयं करना होगा। लाभूकों द्वारा किसी भी इकाई की स्थापना अथवा क्रय परियोजना अंतर्गत आंशिक रूप में किये जाने की स्थिति में सब्सिडी का भुगतान भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा। साथ ही सब्सिडी का वितरण Back ended होगी एवं पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

14. लाभूकों को बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के पश्चात् मवेशी क्रय (Asset creation) के बाद निर्धारित नियम के अनुसार सब्सिडी की राशि विमुक्त करने हेतु दावा विपत्र आवेदक के ऋण खाता संख्या एवं उसके खाते में Disburse की गई राशि अंकित करते हुए संबंधित जिला के क्रियान्वयन एजेंसी को अन्य कागजात के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ताकि संबंधित जिले के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा जाँचोपरांत प्रमाण–पत्र अंकित करते हुए सब्सिडी विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

15. इस योजना के के तहत आवेदकों का चयन में (i) प्रशिक्षित आवेदकों (ii) दुग्ध सहकारिता समिति से जुड़े व्यक्तियों (iii) जीविका के स्वयं सहायता समूह को भी प्राथमिकता दी जायेगी।

16. इस योजना के आवेदकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 वर्ष पूर्व तक की समग्र गव्य विकास की योजना में दुधारू मवेशी खरीदने के लिए यदि किसी लाभूक को अनुदान दिया गया है तो उन्हें पुनः अनुदान/योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

17. इस योजना के तहत निर्धारित सब्सिडो लाभूकों को दोनों स्थिति में देय होगा। यदि लाभूक बैंक से ऋण ले अथवा स्वलागत से क्रय करे। स्वलागत से डेयरी इकाई की स्थापना करने वाले लाभूकों को योजना लागत की पूर्ण राशि उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण संबंधित क्रियान्वयन एजेन्सी यथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन (Asset creation) के पश्चात् ही सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जायेगा। पशु क्रय के पश्चात लाभूक एवं क्रय समिति के सदस्यों का एक संयुक्त फोटाग्राफी किया जायेगा। दुधारू मवेशी के क्रय के पश्चात मवेशी का डाटा ईयर टैग निश्चित रूप से लगाना होगा तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि मवेशी में ईयर टैग लगा दिया गया है।

18. स्वलागत में दुधारू पशु का क्रय एक ही बार अथवा फेजबार करने के लिए लाभूक स्वयं स्वतंत्र होंगे। साथ ही साथ बैंक से स्वीकृत योजना में भी लाभूकों को स्वतंत्र अधिकार होगा कि वे एकबार में पूरी योजना का लाभ लेंगे अथवा किस्तबार।

19. इस योजना के तहत उन्हीं लाभूकों/प्रगतिशील कृषकों को 04 दुधारू मवेशियों की इकाई की स्थापना हेतु चयन किया जायेगा, जिनके पास कम से कम 5 (पाँच) कठ्ठा अपनी जमीन या लीज की जमीन हो ताकि वे हरा चारा का उत्पादन कर सकें।

20. डेयरी इकाई की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य के पूर्ण हो जाने के उपरान्त न तो डेयरी इकाई स्थापित की जायेगी और न ही लाभूकों/बैंक द्वारा अनुदान का दावा मान्य होगा। बैंक से प्राप्त दावा विपत्र के आलोक में लाभूकों को सब्सिडी का लाभ पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जायेगा।

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय,
बिहार, पटना

प्रोजेक्ट रिपोर्ट (2022–23)

समग्र गव्य विकास योजना

एनेक्सचर–1

उन्नत नस्ल के 02 दुधारू मवेशी की योजना

योजना की आर्थिक रूप–रेखा

1	**आधारभूत मान्यताएँः–**	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारू मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक मवेशी 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम या द्वितीय वियान की मवेशी का ही क्रय किया जायेगा।

2	**तकनीकी मापदण्डः–**	
	– एक इकाई में कुल दुधारू मवेशी की संख्या–	2
	– प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन–	12 लीटर

3	**प्रति मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकताः–**		
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –	20 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	5 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	5 कि0 ग्रा0
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –	15 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	7 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	1 कि0 ग्रा0

4	**वित्तीय गणना :–**	
	–एक उन्नत नस्ल के मवेशी की कीमत –	₹60,000/-
	–प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य –	₹40/-
	–संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि0 ग्रा0–	₹22/-

	–हरा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	₹4/-
	–सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	₹6/-
	–रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई–	₹3,000/-
	–प्रति गनी बैग बिक्री से आय –	₹20/-
	–प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी) –	₹3,000/-

योजना की रूप रेखा प्रति इकाई
उन्नत नस्ल का 02 दूधारू मवेशी

(I) पूँजीगत खर्च :–

1.	दुधारू मवेशी–02	प्रति दुधारू मवेशी ₹60,000/- की दर से (प्रति वियान 3500 लीटर दूध देने की क्षमता) (2 X 60,000)	₹1,20,000/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹1,20,000/- X 6%	₹7,200/-
3	परिवहन व्यय	प्रति मवेशी ₹3,000/- की दर से X 2	₹6,000/-
4	पशुशाला निर्माण एवं अन्य व्यय		₹26,800/-
		कुल राशि :–	**₹1,60,000/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनु0 जाति/जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय –	₹1,60,000/-	₹1,60,000/-
2.	लाभूक का अंशदान –	₹8,000/- (5%)	₹16,000/- (10%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	₹1,20,000/- (75%)	₹80,000/- (50%)
4.	बैंक ऋण –	₹32,000/- (20%)	₹64,000/- (40%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार है:–

क्र0	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	2	2
2.	बाछा, बाछियाँ	2	1
	कुलः–	**4**	**3**

(III) एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यता एवं उसका मूल्यः–

क्र0	मात्रा	दर (रु0)	मूल्य (रु0)
1	(क) सूखा चारा 05 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X 3X 300) = 45 क्विंटल	प्रति क्विंटल ₹600/-	₹35,400/-
	(ख) सूखा चारा 07 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 3X 65) = 13.65 क्विंटल (क+ख) = 58.65 क्विंटल, अर्थात् 59 क्विंटल		
2	(क) हरा चारा 20 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 3X 300)= 180 क्विंटल	प्रति क्विंटल ₹400/-	₹84,000/-
	(ख) हरा चारा 15 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 3X 65)= 29.25 क्विंटल (क+ख) = 209.25 क्विंटल, अर्थात् 210 क्विंटल		
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 x 2 x 300)= 30 क्विंटल	प्रति क्विंटल ₹2200/-	₹77,000/-
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1 X 2 X 65)= 1.30 क्विंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष (0.5 X 2 X 365)= 3.65 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 34.95 क्विंटल, अर्थात् 35 क्विंटल		
		कुल योगः– (1+2+3)	**₹1,96,400/-**

(IV) मूल्य ह्रास एवं सूद :

(क)	दुधारू पशुओं पर 12 प्रतिशत की दर से (1,20,000 x 12%)	₹14,400/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति 32,000 x 12%)	₹3,840/-
	(शेष वर्गों के लिए 64,000 x 12%)	₹7,680/-
	कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति):–	**₹18,240/-**
	कुल योग (शेष वर्गों के लिए):–	**₹22,080/-**

(V) आय एवं व्ययः–

(1) आयः–

(क)	कुल उत्पादित दूध 7,000 ली0 का मूल्य, ₹ 40/- प्रति लीटर की दर से 40 x 7,000 ली0	₹2,80,000/-
(ख)	1 बाछी की बिक्री ₹26,000/- प्रति बाछी की दर से	₹26,000/-
(ग)	1 बाछा की बिक्री ₹8,000/- प्रति बाछा की दर से	₹8,000/-
(घ)	गनी बैग की बिक्री (70 X 20)	₹1,400/-
(ड़)	गोबर की बिक्री से	₹6,000/-
कुल योगः–		**₹3,21,400/-**

(2) व्यय :

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	₹1,96,400/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	₹7,200/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	₹3,000/-
कुल योगः–		**₹2,06,600/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = ₹ (3,21,400 - 2,06,600) = ₹1,14,800/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
अ0पि0व0 / अनु0 जाति / जनजाति	=	₹ (1,14,800 - 18,240) = ₹96,560/-
शेष वर्गों के लिए	=	₹ (1,14,800 - 22,080) = ₹92,720/-

इस प्रकार दो उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए ₹96,560/- एवं शेष वर्गों के लिए ₹92,720/- का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास
पदाधिकारी

एनेक्सचर–2

उन्नत नस्ल के 04 दुधारू मवेशी की योजना

योजना की आर्थिक रूप–रेखा

1	**आधारभूत मान्यताएँः–**	उन्नत नस्ल की प्रत्येक दुधारू मवेशी, वियान के पश्चात् 300 दिनों की अवधि में 3500 लीटर दूध देगी। प्रत्येक मवेशी 65 दिन की विसुखी अवधि में रहेगी। प्रथम द्वितीय या वियान की मवेशी का ही क्रय किया जायेगा।

2	**तकनीकी मापदण्डः–**	
	– एक इकाई में कुल दुधारू मवेशी की संख्या–	4
	– प्रत्येक मवेशी का प्रतिदिन औसत दूध उत्पादन–	12 लीटर

3	**प्रति मवेशी प्रतिदिन चारा की आवश्यकता**		
	(1) दूध देने की अवधि में–	हरा चारा –	20 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	5 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	5 कि0 ग्रा0
	(2) विसुखी अवधि में–	हरा चारा –	15 कि0 ग्रा0
		सुखा चारा–	7 कि0 ग्रा0
		संतुलित पशु आहार–	1 कि0 ग्रा0

4	**वित्तीय मापदण्ड :–**	
	–एक उन्नत नस्ल के मवेशी की कीमत –	₹60,000/-
	–प्रति लीटर दूध की बिक्री का मूल्य –	₹40/-
	–संतुलित पशु आहार का कीमत प्रति कि0 ग्रा0–	₹22/-
	–हरा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	₹4/-

	–सूखा–चारा का मूल्य प्रति कि0 ग्रा0–	₹6/-
	–रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर व्यय (प्रति वर्ष) प्रति इकाई–	₹6,000/-
	–प्रति गनी बैग बिक्री से आय –	₹20/-
	–प्रति वर्ष गोबर की बिक्री से आय (प्रति मवेशी) –	₹3,000/-

योजना की रूप रेखा प्रति इकाई
उन्नत नस्ल का 04 दुधारू मवेशी

(I) पूँजीगत खर्च :–

1.	दुधारू मवेशी–04	प्रति दुधारू मवेशी ₹60,000/- की दर से (प्रति वियान 3500 लीटर दूध देने की क्षमता) (4 X 60,000)	₹2,40,000/-
2	पशु बीमा (ट्रांजिट बीमा सहित)	क्रय मूल्य का 6% की दर से ₹2,40,000/- X 6%	₹14,400/-
3	पशुशाला निर्माण	240 वर्ग फीट, प्रति वर्ग फीट ₹300/- की दर से	₹72,000/-
4	परिवहन व्यय	प्रति मवेशी ₹3,000/- की दर से	₹12,000/-
		कुल राशिः–	**₹3,38,400/-**

एक इकाई की स्थापना पर व्यय की रूप–रेखाः–

क्र0	विवरण	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनु0जाति / जनजाति	शेष वर्गों के लिए
1.	योजना पर कुल लागत व्यय (शेड सहित)–	₹3,38,000/-	₹3,38,000/-
2.	लाभूक का अंशदान –	₹16,920/- (5%)	₹33,840/- (10%)
3	राज्य सरकार द्वारा अनुदान –	₹2,53,800/- (75%)	₹1,69,200/- (50%)
4	बैंक ऋण –	₹67,680/- (20%)	₹1,35,360/- (40%)

(II) प्रति वर्ष चारा एवं दाना की आवश्यकता हेतु पशुओं की व्यस्क इकाईयों का आकलन निम्न प्रकार हैः–

क्र0	पशु का विवरण	संख्या	व्यस्क इकाई
1.	दुधारू मवेशी	4	4
2.	बाछा, बाछियाँ	4	2
	कुलः–	**8**	**6**

(III) **एक वर्ष में सुखा चारा, हरा चारा एवं संतुलित पशु आहार (दाना) की आवश्यता एवं उसका मूल्यः–**

क्र0	मात्रा	दर (रुपये में)	मूल्य (रुपये में)
1	(क) सूखा चारा 05 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (5 X 6 X 300)= 90 क्विंटल	प्रति क्विंटल ₹600/-	₹70,800/-
	(ख) सूखा चारा 07 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (7 X 6X 65)= 27.30 क्विंटल (क+ख) = 117.30 क्विंटल, अर्थात् 118 क्विंटल,		
2	(क) हरा चारा 20 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से दूध देने की अवधि 300 दिनों के लिए (20 X 6 X 300)= 360 क्विंटल	प्रति क्विंटल ₹400/-	₹1,67,600/-
	(ख) हरा चारा 15 कि0. ग्रा0. प्रति वयस्क इकाई प्रतिदिन की दर से विसुखी अवधि 65 दिनों के लिए (15 X 6X 65)= 58.50 क्विंटल (क+ख) = 418.50 क्विंटल, अर्थात् 419 क्विंटल		
3	संतुलित पशु आहार (क) दूध देने की अवधि में प्रति पशु 05 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 300 दिनों के लिए (5 X 4 X 300)= 60 क्विंटल	प्रति क्विंटल ₹2,200/-	₹1,54,000/-
	(ख) विसुखी अवधि में प्रति पशु 01 कि0ग्रा0 प्रति व्यस्क इकाई प्रतिदिन की दर से 65 दिनों के लिए (1X 4 X 65)= 2.60 क्विंटल		
	(ग) प्रति बछड़ा 0.50 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन की दर से पूरे वर्ष के लिये (0.5 X 4 X 365)= 7.30 क्विंटल कुल संतुलित पशु आहार (क+ख+ग) = 69.90 क्विंटल, अर्थात् 70 क्विंटल		
		कुल योगः– (1+2+3)	**₹3,92,400/-**

(IV) **मूल्य ह्रास एवं सूद :**

(क)	दुधारू पशुओं पर 12 प्रतिशत की दर से (2,40,000 x 12%)	₹28,800/-
(ख)	बैंक ऋण पर सूद 12 प्रतिशत की दर से	
	(अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति 67,680 x 12%)	₹8,122/-
	(शेष वर्गों के लिए 1,35,360 x 12%)	₹16,243/-
	कुल योग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति):–	**₹36,922/-**
	कुल योग (शेष वर्गों के लिए):–	**₹45,043/-**

(V) आय एवं व्ययः–

(1) आयः–

(क)	कुल उत्पादित दूध 14,000 ली0 का मूल्य, ₹40/- प्रति लीटर की दर से	₹5,60,000/-
(ख)	2 बाछी की बिक्री ₹26,000/- प्रति बाछी की दर से	₹52,000/-
(ग)	2 बाछा की बिक्री ₹8,000/- प्रति बाछा की दर से	₹16,000/-
(ध)	गनी बैग की बिक्री (140 X 20)	₹2,800/-
(ड़)	गोबर की बिक्री से (3,000 X 4)	₹12,000/-
	कुल योगः–	**₹6,42,800/-**

(2) व्यय :

(क)	चारा एवं दाना पर व्यय	₹3,92,400/-
(ख)	पशु बीमा पर खर्च (6%) प्रतिवर्ष	₹14,400/-
(ग)	रख–रखाव एवं पशु चिकित्सा पर खर्च प्रति वर्ष	₹6,000/-
कुल योगः–		**₹4,12,800/-**

लाभ	=	(आय – व्यय) = ₹ (6,42,800 - 4,12,800) = ₹2,30,000/-
विशुद्ध लाभ	=	(लाभ – मूल्य ह्रास एवं सूद)
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनु0 जाति / जनजाति	=	(₹2,30,000 - ₹36,922) = ₹1,93,078/-
शेष वर्गों के लिए	=	(₹2,30,000 - ₹45,043) = ₹1,84,957/-

इस प्रकार चार उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी की एक इकाई स्थापित करने पर एक वर्ष में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / जनजाति के लिए ₹1,93,078/- एवं शेष वर्गो के लिए ₹1,84,957/- का विशुद्ध लाभ होगा।

जिला गव्य विकास
पदाधिकारी

गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना

राज्य के अन्तर्गत जिलों में पशु बिक्री के लिए मान्यता प्राप्त हाट की सूचीः

क्र0	जिला का नाम	स्थान	दिन	दुधारू जानवरों की औसत बिक्री की संख्या
1.	पटना	1) बख्तियारपुर	सोमवार	लगभग– 70से 80
		2.) फतुहॉ (मोसीमपुर)	गुरूवार	30 से 40
		3.) मसौढ़ी	शुक्रवार	25 से 30
		4.) कासीमचक (दुल्हीन बाजार)	गुरूवार	30 से 40
		5.) गौरेया स्थान (मनेर)	रविवार	34 से 40
		6.) समहा थेला (पालीगंज)	सालाना (14 जनवरी से 15 दिन तक)	300 से 350
2.	बक्सर	1.) चौसा	बुधवार	लगभग– 100से 125
		2.) ब्रहमपुर	सालाना (होली के बाद 5दिन के लिए)	100
		3.) मंझवारी	सालाना (बरसात के बाद 7 दिन के लिए)	50
3.	भोजपुर	1.) खनगांव प्रो. कोईलवर	रविवार	50 से 60
		2.) पेउर प्रो. सहार	गुरूवार	40 से 50
		3.) सिगही प्रो. आरा	वार्षिक (मार्च में)	50 से 60
		4.) गड़हनी	मंगलवार	60 से 80
		5.) बिहियां	रविवार	100 से 125
		6.) श्रीपालपुर प्रो. कोईलवर	सालाना (जनवरी एवं मार्च एक सप्ताह)	40 से 50
4.	पूर्णियां	1.) मरंगा पूर्णिया	प्रतिदिन	50 से 100
		2.) बनमनखी	सोमवार	200
		3.)गुलाबबाग	शुक्रवार	50 से 100
		4.) चम्पा नगर	सोमवार	200
		5) गोवर्धन दुधारू मवेशी हाट, मेवालाल चौक	प्रतिदिन	15 से 20
		6) पूर्णियाँ मवेशी हाट, बजरंगबली मंदिर के पास	प्रतिदिन	15 से 20

		7) कसवा मवेशी हाट, हॉस्पीटल के पास	शनिवार	40 से 50
		8) मवेशी हाट, बिरौली बाजार, रूपौली	मंगलवार	50 से 80
		9) मवेशी हाट, डगरूआ	रविवार	40 से 50
5.	लखीसराय	—	—	—
6.	बेगुसराय	1.) मंसूरचक	शुक्रवार	50 से 100
7.	सिवान	1.) जीरादेई (हसुआ)	जून (एक महीना)	100
		2.) गौरीयाकोठी (जसौली)	अप्रैल (एक महीना)	150
		3.) मनीयां	मार्च (एक महीना)	150
8.	वैशाली	1.) मधौल	मंगलवार	400 से 500
		2.) रानीपोखर	मंगलवार	100 से 150
		3.) कर्णपुरा	रविवार	200 से 250
9.	छपरा	1.) घेघटा, छपरा	शुक्रवार	500 से 750
		2.) सोनपुरमेला	एक महीना	—
10.	शेखपुरा	1.)बरबीधा	शुक्रवार	100 से 150
11.	मधेपुरा	1.) सिहेश्वर स्थान	बुधवार	20 से 25
		2.) मधेपुरा	प्रतिदिन	20 से 25
12.	सहरसा	1.)सिमरी बख्तियारपुर	रविवार	100 से 150
		2.) सहरसा	प्रतिदिन	100 से 150
13.	जमुई	1.) मंगला हाट, जमुई	मंगलवार	लगभग 400 से 500
		2.)सिकंदरा	रविवार	100 से 150
14.	सुपौल	1.)मेला मैदान सुपौल	प्रतिदिन	500
		2.) बंगला हाट त्रिवेणीगंज	शनिवार	1500
		3.) राधोपुर	मंगलवार	4000
		4.)भवानीपुर प्रतापगंज सुरजापुर प्रतापगंज	बुधवार शुक्रवार	300 500
		5.)चकडुमरीया, बसविट्टी रोड	प्रतिदिन	20 से 30

15.	किशनगंज	1.) भोजगावा	सोमवार एवं शुक्रवार	50 से 100
		2.) ठाकुड़पाड़ा	सोमवार	200 से 300
		3.) अनारवाली	सोमवार एवं शुक्रवार	50 से 100
		4.) बिसनपुर	गुरूवार एवं रविवार	200 से 300
		5.) लोहागढ़ा	मंगलवार एवं शुक्रवार	500 से 600
		6.) मटियारी	रविवार एवं गुरूवार	50 से 100
		7.) फूलवरी	मंगलवार एवं शुक्रवार	100 से 200
		8.) ठाकुरगंज	सोमवार एवं शुक्रवार	200 से 400
		9.) छतरगांछ	बुधवार एवं शनिवार	100 से 150
		10.) कगड़ाहाट	रविवार एवं गुरूवार	200 से 300
16.	अररिया	1.) जीरो माईल	प्रतिदिन	50 से 100
		2.) जोकिहाट	रविवार एवं बुधवार	100 से 125
		3.) कुमारी	सोमवार एवं शुक्रवार	50
		4.) कुर्साकाटा	सोमवार एव्र गुरूवार	50
		5.) बकरूवारी	शनिवार एवं बुधवार	40 से 40
		6.) नेहटी	मंगलवार एवं शुक्रवार	50
		7.) रघुनाथपुर	शनिवार	50
		10) गंगवाहा	बुधवार	50
		11) फारबीसगंज	मंगलवार	100
		12) नरपतगंज	सोमवार	100–50
17	बाँका	1) महाराणा हाट, बाराहाट	गुरूवार	50
		2)समुखिया मोड़, बांका	मगलवार एवं शुक्रवार	20–25
		3.) धौरैया	रविवार	10
		4) पवई, अमरपुर	गुरूवार	30–40
18.	भागलपुर	1.) नौगछिया	रविवार	100–125
		2.) पिरपैती	मंगलवार	200–245
		3.) बलुआचक	शुक्रवार	40–50
19.	औरंगाबाद	1.) शिवगंज	शनिवार	50–100
		2.) वारून	मंगलवार	50–100

		3.) खरांटी (ओवरा)	शुक्रवार	50–100
		4.) गोह	शनिवार	150–200
		5.) मंगलाहाट, विरहटा,हसपुरा	मंगलवार एवं शनिवार	150–200
20.	कैमूर	1.) भभुआ	नवम्बर से मार्च	50–100
		2.) नुआंव	फरवरी, मई, जून, दिसम्बर	100–150
		3.) रामगढ़	शुक्रवार	100–150
		4. कल्याणपुर(दुर्गावती)	शुक्रवार,शनिवार एवं रविवार	50–75
21.	रोहतास	1.) काराकाट	बुधवार	100–150
		2.) थनुआ शिवसागर	अप्रैल	100–150
22.	दरभंगा	1.) सदर	मंगलवार एवं शनिवार	50–75
		2.) बेनीपुर	मंगलवार	50–75
		3.) बिरौल	शनिवार	40–60
		4.) सिसवारा	–	50–75
23.	नवादा	1.) भदौनी, नवादा	शुक्रवार	100–150
		2) अकबरपुर	शनिवार	50–60
		3.) शाहपुरकाली चौक,काशी चक	सोमवार	100–150
		4.) लौन्द, सिरदल्ला	रविवार	40–60
24.	गया	1.) बुधगेरे	बुधवार	20–40
		2.) बहेलिया बिगहा	मंगलवार एवं शुक्रवार	150–200
		3.) रविदरसराय	बुधवार	50–60
		4.) चिरकी	शनिवार	50–60
		5.) मुसंडा	वैशाख (कार्तिक दो महिना)	500–600
		6.) पड़बिगहा	रविवार	50–60
		7.) मौलानगर	मंगलवार	50–60
25.	सीतामढ़ी	1.) कोरलहिया	रविवार	100–120
		2.) पुनौरा	मंगलवार एवं शनिवार	20–30
	मुजफ्फरपुर	–	–	
27.	शिवहर	–	–	–
28.	अरवल	1.) कुर्था कोठिया	मंगलवार	100–150
		2.) इमामगंज, करपी रोड	सोमवार	100–150

		3.) मेहनदिया	रविवार	50–100
		4.) मानीकपुर	चैत में 15 दिन	400–500
29.	जहानाबाद	1.) टेहटा	ानिवार	100–150
		2.) बभवना	बुधवार	100–150
		3.) सोनमा	शुक्रवार	50–100
		4.) हुलासगंज	मंगलवार	100–150
		5.) सरमा धोसी	रविवार	100–150
		6.) झुनकी	गुरूवार	100–150
		7.)पंडा बिगहा	रविवार	100–150
		8.) काको	रविवार	150–200
		9.) शकुराबाद	सोमवार	100–150
30	समस्तीपुर	1.) वारिस नगर	शुक्रवार	50–100
		2) गंगापुर	रविवार एवं मंगलवार	50–60
		3) उजियारपुर	शनिवार एवं मंगलवार	20–25
		4) दलसिंहसराय	शुक्रवार	30–50
		5) जर्नादनपुर	मंगलवार	400–500
31	कटिहार	1) मनसाही	रविवार	150–200
		2) मलीकपुर	गुरूवार	60–50
		3) खेरिया	गुरूवार	150–200
		4) डुमर सोनोहली	शुक्रवार	50–100
		5) बलरामपुर	शविार	50–101
32	मुंगेर	1) तारापुर	सोमवार	50
33	खगड़िया	1) मानसी	सोमवार	200–300
34	मधुबनी	1) बेहटा	मंगलवार	200–250
		2) झुमगाँव	रविारवार एवं गुरूवार	40–50
		3) भगवानपुर	मंगलवार	100–150
		4) डोनवारी	बुधवार	50–50
35	नालन्दा	1) नुपरामोड़	सोमवार	50–60
		2) रहुईक्लब	शनिवार	50–60

		3) मोदीनपुर	गुरूवार	40–50
		4) परवलपुर	बुधवार	70–90
		5) सालेपुर	मंगलवार	50–60
		6) हिलसा स्टैण्ड	शुक्रवार	70–100
		7) अमीरगंज	शुक्रवार एवं मंगलवार	50–60
36	गोपालगंज	1) कोइनी, मांझा, गोपालगंज	मंगलवार	10–20
		2) राजापट्टी कोटी, बैकुण्ठपुर	मार्च एवं जुलाई एक महीना	50–100
37	प0 चम्पारण	1) सिरसिया, सिकटा	शुक्रवार	10–50
		2) हजारी, बेतिया	दशहरा के शुभ अवसर पर 8–10 दिन के लिए	300–800
		3) चनपटिया	कार्तिक पूर्णिमा 10–12 दिन	100–200
		4) लौरिया	अगहन तेरस 15 दिन	200
		5) गोनाही, लौरिया	फरवरी, जुलाई (साप्ताहिक)	20–50/प्रतिदिन
		6) पिपरासी	माघ पूर्णिमा 3–4 दिन	100–200
		7) राघवानन्दपुर, सैरिया	दशहरा – दीवाली 15 दिन	10–20 प्रतिदिन
38	पूर्वी चम्पारण	1) पकड़ीदयाल	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह 4 दिन	
		2) महुआश, पिपरा	अक्टूबर द्वितीय सप्ताह 7 दिन	
		3) राजपुर, कल्याणपुर	छठ के समय एक महीना	
		4) सेमरा, केसरिया	सितम्बर अन्तिम सप्ताह 7 दिन	
		5) मुरारपुर हरसिसिफी	अक्टूबर अन्तिम सप्ताह 7 दिन	
		6) सपही तुरकौलिया	दीपावली के समय 4 दिन	
		7) कोटवा	दुर्गापूजा के समय 7 दिन	
		8) अरनईया कोठी, घोड़ासहन	दुर्गापूजा के अवधि में 10 दिन	

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(क) वित्तीय वर्ष 2022–23 में समग्र गव्य विकास योजना के तहत सभी वर्गों के लिए **कम्फेड** के माध्यम से सिर्फ 02 दुधारू मवेशी की डेयरी ईकाई की स्थापना हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः–

क्र0	कोटि	प्रति इकाई लागत (रू0 में)	प्रति इकाई अनुदान की दर	भौतिक लक्ष्य (इकाई)	वित्तीय लक्ष्य (रू0 लाख में)
1	सामान्य	160000.00	प्रति इकाई अनुदान 50% (80,000/-)	1020	816.00
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग		प्रति इकाई अनुदान 75% (1,20,000/-)	170	204.00
3	अनुसूचित जाति		प्रति इकाई अनुदान 75% (1,20,000/-)	401	481.20
4	अनुसूचित जनजाति		प्रति इकाई अनुदान 75% (1,20,000/-)	25	30.00
कुल				**1616**	**1531.20**

(रूपये पन्द्रह करोड़ एकतीस लाख बीस हजार) मात्र

(ख) वित्तीय वर्ष 2022–23 में समग्र गव्य विकास योजना के तहत सभी वर्गों के लिए **जीविका** के माध्यम से सिर्फ 02 दुधारू मवेशी की डेयरी ईकाई की स्थापना हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यः–

क्र0	कोटि	प्रति इकाई लागत (रू0 में)	प्रति इकाई अनुदान की दर	भौतिक लक्ष्य (इकाई)	वित्तीय लक्ष्य (रू0 लाख में)
1	सामान्य	160000.00	प्रति इकाई अनुदान 50% (80,000/-)	1019	815.20
2	अत्यंत पिछड़ा वर्ग		प्रति इकाई अनुदान 75% (1,20,000/-)	169	202.80

3	अनुसूचित जाति		प्रति इकाई अनुदान 75% (1,20,000/-)	400	480.00
4	अनुसूचित जनजाति		प्रति इकाई अनुदान 75% (1,20,000/-)	25	30.00
कुल				**1613**	**1528.00**

(रूपये पन्द्रह करोड़ अठाईस लाख) मात्र

निदेशक (गव्य)

(ग) वित्तीय वर्ष 2022–23 में समग्र गव्य विकास योजना अन्तर्गत सभी वर्गों के लिए (सामान्य 50% अनुदान तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 75% अनुदान) 04 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई के स्थापना हेतु **जिला गव्य विकास कार्यालय** द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

क्र0	जिला	04 दुधारू मवेशी के लिए						कुल	
		सामान्य वर्ग		अत्यंत पिछड़ा वर्ग		अनु0 जाति			
		भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	औरंगाबाद	7	11.844	1	2.538	3	7.614	11	21.996
2	रोहतास	6	10.152	1	2.538	3	7.614	10	20.304
3	कैमूर	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
4	अररिया	6	10.152	1	2.538	3	7.614	10	20.304
5	अरवल	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
6	जहानाबाद	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
7	बांका	7	11.844	1	2.538	3	7.614	11	21.996
8	भागलपुर	6	10.152	1	2.538	3	7.614	10	20.304
9	गोपालगंज	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
10	पूर्वी चम्पारण	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
11	प0 चम्पारण	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
12	जमुई	7	11.844	1	2.538	3	7.614	11	21.996
13	किशनगंज	7	11.844	1	2.538	3	7.614	11	21.996
14	कटिहार	10	16.92	2	5.076	3	7.614	15	29.61
15	लखीसराय	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
16	बेगूसराय	8	13.536	1	2.538	3	7.614	12	23.688
17	मधुबनी	7	11.844	1	2.538	3	7.614	11	21.996
18	दरभंगा	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
19	समस्तीपुर	6	10.152	1	2.538	2	5.076	9	17.766
20	मधेपुरा	7	11.844	1	2.538	3	7.614	11	21.996
21	सहरसा	6	10.152	1	2.538	2	5.076	9	17.766

22	मुंगेर	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
23	खगड़िया	4	6.768	1	2.538	2	5.076	7	14.382
24	नालन्दा	9	15.228	1	2.538	4	10.152	14	27.918
25	नवादा	6	10.152	1	2.538	3	7.614	10	20.304
26	गया	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
27	पूर्णिया	7	11.844	1	2.538	3	7.614	11	21.996
28	पटना	10	16.92	2	5.076	3	7.614	15	29.61
29	भोजपुर	6	10.152	1	2.538	2	5.076	9	17.766
30	बक्सर	6	10.152	1	2.538	2	5.076	9	17.766
31	शेखपुरा	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
32	सीतामढ़ी	7	11.844	1	2.538	2	5.076	10	19.458
33	शिवहर	5	8.46	1	2.538	2	5.076	8	16.074
34	मुजफ्फरपुर	6	10.152	1	2.538	2	5.076	9	17.766
35	सुपौल	6	10.152	1	2.538	2	5.076	9	17.766
36	सारण	8	13.536	1	2.538	3	7.614	12	23.688
37	वैशाली	8	13.536	1	2.538	3	7.614	12	23.688
38	सीवान	7	11.844	1	2.538	2	5.076	10	19.458
कुल		**240**	**406.08**	**40**	**101.52**	**94**	**238.572**	**374**	**746.172**

(रूपये सात करोड़ छियालीस लाख सत्तरह हजार दो सौ) मात्र

निदेशक (गव्य)